न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 61/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रामेश्वर पुत्र नारायण लाल जाति जाट निवासी देशवाल तहसील मेडता जिला नागौर		1भंवरूराम पुत्र किस्तूरराम जाति जाट खुडखुडिया निवासी ग्राम देशवाल ग्राम पंचायत ओलादन पंचायत समिति मेडता। 2सचिव, ग्राम पंचायत ओलादन, पंचायत समिति मेडता।

उपस्थिति–

1. श्री रामकिशोर मुण्डेल, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री भागीरथ चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 8.1.20

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ओलादन द्वारा प्रस्ताव सं. 2 दिनांक 18.10.99 के द्वारा आबादी भूमि का विक्रयनामा दिनांक 17.12.99 को अप्रार्थी सं. 1 भंवरूराम के पक्ष में जारी पट्टा सं. 4 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 09.10.15 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहे है तथा अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत ओलादन के पटटा सं. 38, 3 व 4 की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा न्यायालय हाजा के प्रकरण सं. 9/12 शोभाराम बनाम भंवरूराम के फर्द अहकाम दिनांक 1.2.12 से 23.2.12 की फोटोप्रति, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति तथा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेडता की आदेशिका की फोटोप्रति तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया। दौराने कार्यवाही अप्रार्थी केलकी की ओर से निगरानी खारिज करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2016 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर वकील प्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया है। प्रकरण मे अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं निगरानी पर अंतिम बहस एक साथ ही सुनी गई।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि –

2(1)– ग्राम देशवाल की आबादी भूमि में एक भूमि विक्रय विलेख जरिये मिसल सं. 37 दिनांक 18.10.73 को पटटा सं. 38 का चेतनराम पुत्र झूमरराम जाट निवासी देशवाल के नाम रकम दस रू. चालीस पैसा मात्र में जारी किया गया, जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल 520 वर्गगज स्टेण्डर्ड रहा तथा ग्राम पंचायत ओलादन के तत्कालीन सरपंच, सचिव के हस्ताक्षरो से विक्रय विलेख जारी किया, जो वैधानिक रूप से आज दिन तक अस्तित्व में रहा है। उक्त पटटा जारी रहते हुए ग्राम पंचायत ओलादन के सरपंच शंकर एवं सरपंच श्यामलाल ग्राम पंचायत ओलादन, सचिव ग्राम पंचायत ओलादन तथा मनीराम अध्यक्ष कमेटी के द्वारा अप्रार्थी सं. 1 भंवरूराम के नाम दिनांक 17.12.99 को भूमि विक्रयनामा पटटा सं. 4 का संकल्प सं. 2 दिनांक 3.11.99 का जारी किया गया, जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल 516.66 वर्गगज स्टेण्डर्ड का जारी किया गया। जिसका पडोस पूर्व में केलकी खुडखुडिया का मकान, पश्चिम मे दिवराज खुडखुडिया का मकान, उतर में रास्ता गुवाडी का तथा दक्षिण में बालाराम खाती का मकान।

2(2)– ग्राम पंचायत ओलादन ने उक्त अप्रार्थी सं. 1 के विक्रयनामा भूमि के साथ ही अप्रार्थी सं. 1 भंवरूराम की पत्नी केलकी के नाम भूमि विक्रयनामा दिनांक 17.12.99 को पंचायत के संकल्प (प्रस्ताव) सं. 2 दिनांक 3.11.99 के द्वारा कुल भूमि क्षेत्रफल 172.33 वर्गगज स्टेण्डर्ड का जारी किया गया, जिसके पडोस पूर्व में रास्ता व निकाल, पश्चिम मे भंवरूराम खुडखुडिया का मकान, उतर में रास्ता गुवाडी का तथा दक्षिण में रास्ता गुवाडी का। अप्रार्थी सं. 1 भंवरूराम तथा पटटा सं. 3 का केलकी के नाम पटटा की कीमत 200 रू. अक्षरे दो सौ रू. में बाजार दर से बेचकर रू. की रसीद सं. 60 दिनांक 17.12.99 की अप्रार्थी सं. 1 के नाम जारी की तथा रसीद सं. 59 दिनांक 17.12.99 की केलकी के नाम जारी की गई। उक्त भूमि पूर्व से जारी पटटा सं. 38 मिसल सं. 36 तारीख दायरा दिनांक 18.10.73 की भूमि का ही जारी अप्रार्थी सं. 1 तथा केलकी के नाम जारी किया गया। जिसकी जानकारी निगरानी कर्ता को दिनांक 30.07.15 को होने पर वर्तमान सरपंच श्रीमती मंजू से एवं सचिव से नकले विक्रयनामा अप्रार्थी सं. 1 व केलकी के नाम की संपूर्ण मिसल की मांग की गई, तो सचिव ने केवलमात्र विक्रयनामा की नकल दी एवं बताया कि उक्त विक्रयनामा के मिसल पंचायत मे नही है, न ही संकल्प सं. 2 दिनांक 3.11.99 का मौजूद

अपर कलक्टर, नागौर

है, जिससे नकले देना संभव नही है। निगरानीकर्ता को पटटा की नकल वर्तमान सरपंच द्वारा दिनांक 30.07.15 को दिये जाने से उक्त विवादित पटटे की जानकारी हुई तथा अन्य कोई रिकार्ड इन पटटो के ग्राम पंचायत कार्यालय मे नही है, जिससे नकले पेश नही की जा सकती तथा निगरानी की मियाद दिनांक 30.07.15 से शुमार की जाकर निगरानी को तारीख जानकारी से अंदर मियाद शुमार करना न्याय संगत है।

2(3)–विक्रय विलेख बनाने का संकल्प व विक्रय विलेख जेर निगरानी विरूद्व कानून व हालात मामला है, जो निरस्तनीय है।

2(4)– विवादित स्थल का पूर्व में पटटा चेतनराम पुत्र झूमरराम जाट के नाम मिसल सं. 36 तारीख दायरा 18.10.73 पटटा सं. 38 के होते हुए ग्राम पंचायत ओलादन ने ग्राम देशवाल की आबादी भूमि मे अप्रार्थी सं. 1 भंवरूराम के नाम विक्रयनामा पटटा नं. 4 व संकल्प सं. 2 दिनांक 3.11.99 के द्वारा जारी किया तथा अप्रार्थी सं. 1 के पटटा नं. 4 विवादित भूमि का विक्रयनामा दिनांक 17.12.99 को संकल्प सं. 2 दिनांक 3.11.99 का जो जारी किया, वह पूर्व में पटटा जारी होने से कूटरचित दस्तावेज व मिथ्या तथा बनावटी पटटे अप्रार्थी के नाम जारी किये है और अप्रार्थी को नाजायज फायदा पहुंचाकर आबादी की भूमि हडपने और रास्ते की भूमि को आवागमन में अवरूद्व कर निगरानीकर्ता व आम जनता को महरूम रखने की नियत से विधि विरूद्व जारी किया है, जो प्रथमतः शून्य व अवैध है, इसलिये जरिये निगरानी के अप्रार्थी सं. 1 के नाम जारी पटटा निरस्तनीय है।

2(5)– विवादित स्थल का पटटा ग्राम पंचायत ओलादन द्वारा जारी किया गया है, जिसमें विवादित भूमि का बाजार दर से 200 रू. में जरिये रसीद सं. 60 दिनांक 17.12.99 को विक्रय करना बताया है, जिस पटटे का रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अनुसार पंजीयन नही करवाने से भी यह पटटा निरस्तनीय है।

2(6)– अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा विवादित स्थल का चेतनराम के नाम से पटटा पूर्व में जारी होकर के उस पर विवादित स्थल पर पटटा सं. 38 का भाग पर कब्जा संपूर्ण रूप से भी नही है, केवल मात्र 250 वर्गगज भूमि पर वर्तमान में कब्जा है और चेतनराम के सहमति से बतौर लाईसेन्सी के अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा है, जिस पर वह पटटे के जरिये स्वामित्व अकेली प्राप्त करने की अकेली प्राप्त करने की अधिकारी भी नही है, जिससे भी अप्रार्थी का नाम का प्रस्ताव सं. 2 दिनांक 3.11.99 का निरस्तनीय हैं। क्योकि कब्जा चेतनराम का ही माना जायेगा और इन परिस्थितियो में पटटा भी नही बनाया जा सकता। इसी के साथ में अप्रार्थी सं. 1 व उसकी पत्नी के न तो स्वामित्व था, न कब्जा माना जा सकता। जिससे संकल्प व विक्रय विलेख शून्य व निरस्तनीय है।

2(7)– विक्रय विलेख बनाने के लिये नियमानुसार अप्रार्थी सं. 1 को आवेदन करना चाहिये था एवं पत्रावली कायम होकर के मौका मुआयना के लिये पंच मुकर्रर करना भी पंचायत में कार्यवाही का आवश्यक भाग था एवं मौका रिपोर्ट आती एवं उसके बाद पंचायत यह निर्णय लेती कि यह विवादित भू भाग पटटा बनाने के लिये योग्य है अथवा विधि विरूद्व है, उसकी भी इस्तेहार उजरदारी होती है और कोई आपति नही होती है तो साक्ष्य प्रार्थी की ली जाकर उसके किसी अधिकार के बाबत में निर्णय लिया जाना होता है तथा बाद में फीस जमा करने पर पटटा विक्रय विलेख जारी होकर पंजीयन विभाग द्वारा निष्पादित किया जाता है, इन तमाम विधिक प्रक्रिया का किसी तरह से ग्राम पंचायत ओलादन ने पालना नही की, जिससे भी यह प्रस्ताव सं. 2 दिनांक 3.11.99 ग्राम पंचायत ओलादन स्वतः ही शून्य एवं निरस्तनीय है।

2(8)– अप्रार्थी सं. 1 ने पूर्व से ही चेतनराम के नाम पटटा होने की जानकारी थी और उस जानकारी के होते हुए भी आम जनता व निगरानीकर्ता तमाम को धोखे मे रखकर ग्राम पंचायत से मिलकर पटटा प्राप्त किया है तथा जायगा पर अप्रार्थी सं. 1 अकेले का ही कब्जा स्वामित्व है अथवा परिवार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है, इस बाबत मे भी जानकारी नही की तथा मौके पर अप्रार्थी सं. 1 का आज दिन भी कब्जा नही है, जिससे कब्जे के अभाव मे भी पटटा सं. 4 प्रस्ताव 2 दिनांक 3.11.99 ग्राम पंचायत ओलादन का निरस्तनीय है।

3– वकील अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि

3(1)– प्रार्थी रामेश्वर ने उक्त निगरानी पेश की। लेकिन पटटे मे बतायी गयी जायगा प्रार्थी की नही है तथा न ही प्रार्थी पूर्व मे गलत पटटा जारी चेतनराम का वारिस है। जिससे प्रार्थी का इस पटटे से कोई अहित नही है तथा न ही वो हितबद्व पक्षकार है। अप्रार्थी को फालतू तंग व परेशान करने की नियत से यह निगरानी पेश की गई है।

3(2)– अप्रार्थी के इसी पटटे के संबंध मे पूर्व मे एक पंचायत निगरानी शोभाराम पुत्र चेतनराम ने न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई। जो जरिये राजीनामा दिनांक 23.02.12 को जरिये विड्रावल खारिज हो चुकी है। अगर विवादित पटटे के संबंध मे पूर्व मे कोई निगरानी प्रस्तुत होकर उसका न्यायालय हाजा द्वारा निस्तारण कर दिया जाता है तो उसी पटटे को लेकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दुबारा निगरानी पेश नही की जा सकती है। पूर्व निगरानी निस्तारण होने की प्रार्थी को शुरू से जानकारी होते हुए भी जानबूझकर पूर्व मे प्रस्तुत व निर्णीत निगरानी का हवाला इस निगरानी मे नही दिया गया है।

3(3)– अप्रार्थी के पक्ष मे जारी पटटे के विरूद्व पूर्व मे शोभाराम पुत्र चेतनराम ने वाद सं. 19/12 शोभाराम बनाम भंवरूराम न्यायालय सिविल न्यायाधीश मेडता मे प्रस्तुत किया। जिसमे शोभाराम ने विवादित जायगा शुरू से स्व.

अपर कलक्टर, नागौर

किस्तूरराम जी की व उसके बाद मे उसके पुत्रो यानि अप्रार्थी भंवरू बंटशुदा जायगा होना व अप्रार्थी के पक्ष मे दिनांक 17.12.99 को जारी पटटा सं. 4 को सही होना स्वीकार किया है। स्व. चेतनराम के नाम से पटटा सं. 38 जारी हुआ व गलत है, इस जायगा पर अप्रार्थी का कब्जा कभी नही रहा तथा न ही वर्तमान मे है। उक्त शोभाराम ने सिविल वाद मे अपना स्वामित्व व कब्जा नही मानते हुए जरिये विड्रावल खारिज करवा लिया है। इससे भी अप्रार्थी व उसके परिवार का पुश्तेनी व कदीमी कब्जा होने से उनके हक मे पटटा सही बनना साबित है।

3(4)– प्रार्थी ने पूर्व मे स्व. चेतनराम के नाम पटटा जारी होने का हवाला देते हुए यह निगरानी निराधार पेश की है तथा इसमे प्रार्थी ने स्व. चेतनराम के किसी भी विधिक उतराधिकारी को पक्षकार नही बनाया है एवं न ही स्व. चेतनराम के वारिसान को अप्रार्थी के पटटे से कोई आपति है।

3(5)– प्रार्थी को अप्रार्थी की आराजी जायगा होने की जानकारी शुरू से रहती चली आयी। अप्रार्थी ने सन् 2000 मे पुराने मकान की जगह नया मकान भी निर्माण करवाया। जिसमे बेरोकटोक निरंतर निवासरत है। जिसकी जानकारी होते हुए भी 16 वर्ष बाद निगरानी पेश की। जो मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

3(6)– अप्रार्थी की पटटासुद जायगा से प्रार्थी को कोई सरोकार नही है तथा न ही वो इस जायगा का पडोसी है। प्रार्थी का कोई हित प्रभावित नही हुआ है। प्रार्थी ने न्यायालय हाजा मे निगरानी पेश करने की इजाजत हेतु कोई आवेदन पेश नही किया है। जिससे प्रार्थी की कोई लोकस स्टेण्डडाई नही है। इसलिये निगरानी निरस्तनीय है।

3(7)– ग्राम पंचायत द्वारा पटटा पंचायत राज अधि. की धारा 167(1) के तहत 200 रू. मे पटटा जारी किया। जो पुराने मकान का नियमितीकरण किया। विक्रय नही किया तथा अपने कथन के समर्थन मे पंचायत राज अधिनियम 157(1)(ख) नजीर प्रस्तुत की। साथ मे यह भी बताया कि पटटा अपंजीकृत होने से साक्ष्य मे अग्राह्य है। पटटा सरकार द्वारा जारी किया गया है। जिसका रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17(2) के तहत पंजीयन आवश्यक नही है तथा अपने कथन के समर्थन मे 2013(2) डीएनजे (राज) पेज 766 नजीर प्रस्तुत की गई है।

4– वकील प्रार्थी द्वारा बहस का जवाब देते हुए बताया कि चेतनराम के पटटे के रहते हुए इसी जगह का दूसरा पटटा बाद मे अप्रार्थी के नाम जारी किया गया है। जो गलत है। चेतनराम का पटटा 520 वर्गगज का है जबकि अप्रार्थी भंवरू को 516.66 वर्गगज व उसकी पत्नी केलकी के पक्ष मे 172.33 वर्गगज कुल 688.99 वर्गगज का जारी हुआ है। जो मूल चेतनराम के पटटे से 188.99 वर्गगज ज्यादा है। यह भूमि सार्वजनिक रास्ते की है तथा रास्ते की भूमि पर पटटा देने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटे का पंजीयन होना आवश्यक है। मगर इन पटटो का पंजीयन नही करवाये जाने से निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन मे 2015(2) आरएलडब्लू पेज 1431 एवं पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 (ख) नजीरे प्रस्तुत की गई।

5– पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 भंवरू के पक्ष में पारित प्रस्ताव सं. 2 दिनांक 18.10.99 के द्वारा पट्टा सं. 4 दिनांक 17.12.99 को जारी किया गया है, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि का पूर्व मे पटटा चेतनराम के नाम 520 वर्गगज का जारी होना बताया गया है। लेकिन उक्त प्रश्नगत पटटे की जायगा मे प्रार्थी का क्या हित है? न ही प्रार्थी चेतनराम का वारिस है? तो ऐसी स्थिति मे वो किस प्रकार हितबद्ध पक्षकार है, स्पष्ट नहीं है। आराजी पटटे को लेकर पूर्व मे शोभाराम पुत्र चेतनराम ने निगरानी सं. 9/12 शोभाराम बनाम भंवरू इसी न्यायालय मे दिनांक 01.02.12 को प्रस्तुत की जो दिनांक 23.02.12 को जरिये राजीनामा विड्राल हो चुकी है। इसके साथ ही शोभाराम पुत्र चेतनराम ने दीवानी वाद सं. 19/12 शोभाराम बनाम भंवरूराम न्यायालय सिविल न्यायाधीश मेडता मे प्रस्तुत किया। जिसमे वादी शोभाराम ने राजीनामा दिनांक 12.03.2012 के द्वारा अप्रार्थी के पक्ष मे जारी पटटे को सही माना तथा शोभाराम के पिता चेतनराम के नाम जारी पटटा सं. 38 को गलत रूप से जारी होना तथा न ही उनका कोई कब्जा होना स्वीकार किया है। जिस पर दावा जरिये विड्राल खारिज भी हो चुका है। निगरानीकर्ता रामेश्वर पुत्र नारायणलाल द्वारा दिनांक 12.12.15 को एक प्राथमिक रिपोर्ट अप्रार्थिया व अन्य के विरूद्व इसी भूमि को लेकर दर्ज करवायी गयी थी। जिसमे पुलिस अनुसंधान मे अप्रार्थी के मकान व कब्जा वर्षो पुराना माना गया है। जिसका फौजदारी मामला सीजेएम कोर्ट मे विचाराधीन होना वकील अप्रार्थी ने बहस के दौरान बताया जिसका वकील प्रार्थी द्वारा कोई विरोध भी नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा निगरानी दिनांक 09.10.15 को पटटा जारी होने की दिनांक 17.12.99 के 16 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गई है तथा देरी के लिये कोई पर्याप्त कारण भी नही बताया गया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली सं. 4/99–2000 भंवरूराम पुत्र किस्तूरराम के अवलोकन से पटटा जैर निगरानी जारी करने से पूर्व आपति मांगने का सूचना पत्र जारी करना, वार्ड पंचो की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 18.9.99, गवाहो के बयान एवं पत्रावली कार्यवाही विवरण के अनुसार पटटा जैर निगरानी विहित प्रक्रिया अपनाते हुए ही जारी किया जाना प्रतीत होता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय दिनांक 18.10.99 के अनुसार पट्टा दिये जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होना भी अंकित हुआ है। ऐसी स्थिति मे प्रस्ताव / पटटा जैर निगरानी मे कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। यदि प्रार्थी का स्वामित्व संबंधी कोई विवाद है तो सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें।

6– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

7– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)